प्र० सि० 06/2020 अन्तर्गत - ए०यू० स्मॉल फाई० बैंक
बनाम सुशील कुमार आदि

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ता... जो इस हु... में ज... |
|---|---|---|
| | 22.04.2021<br>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक व प्रार्थी के नाम से बार–बार आवाज लगाई गई किन्तु न्यायालय समय समाप्त होने तक कोई हाजिर नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस बाद तामिल रिपोर्ट (ए.डी.) प्रार्थना–प्रत्र के साथ सलंग्न नहीं होना पाई गई। बैंक को उक्त नोटिस प्राप्ति रिपोर्ट (ए.डी.) पेश करने हेतु पूर्व में लिखा गया बावजूद इसके प्रार्थी बैंक द्वारा नोटिस प्राप्ति रिपोर्ट (ए.डी.) पेश नहीं की गई। अतः प्रार्थी बैंक का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम–2002 को नोटिस प्राप्ति रिपोर्ट (ए.डी.) के अभाव में व अदम पेरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक को हिदायत दी जाती है कि इस कार्यालय को प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज सलंग्न कर ही प्रार्थना–पत्र पेश करें और नियत तारिख पेशी पर स्वयं या जरिये प्रतिनिधि उपस्थित होवें। उक्त आदेश से प्रार्थी बैंक को सूचित किया जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।<br><br>जिला मजिस्ट्रेट<br>हनुमानगढ़ | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official